(23) (3)

[illegible] / 111(2)/09-45(एम0एल0ए0)/08टी0सी0

प्रेषक,
[illegible]
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 02 मार्च, 2009

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 में 06 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये 06 कार्यों के [illegible] रूपये 928.04 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 928.04 लाख (रूपये नौ करोड़ अठ्ठाईस लाख चार हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित [illegible] विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए उनके सम्मुख कॉलम 6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.60 लाख (रू0 साठ हजार मात्र) की धनराशि [illegible] वित्तीय वर्ष 2008-09 में [illegible] की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन [illegible] करते हैं-

2. जो मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है उन मार्गों को संबंधित विभाग से लोक निर्माण [illegible] हस्तान्तरित कराने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जाय और कार्य के शासनादेश संख्या-4042 [illegible] 08-24(बजट)/2008 दिनांक 11-12-08 के मानक से आच्छादन की पुष्टि सुनिश्चित कर ली जायेगी।

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का [illegible] शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, [illegible] का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर [illegible] करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का [illegible] किया जायेगा।

7. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त [illegible] तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण [illegible] प्रचलित दरें, [illegible] के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा [illegible] के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11. यदि उक्त कार्यों में से कोई योजना अपने विभाग से या अन्य विभागीय बजट में प्रारम्भ किया जा चुका है या पूर्ण किया जा चुका है तब उस कार्य हेतु उक्त दी जा रही स्वीकृति निरस्त या उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी और स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण नहीं किया जायेगा।

छाया प्रति सत्यापित

Attested
(signature)
सहायक अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
रानीखेत

(signature)

(signature)
सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रानीखेत

लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाये
जाय।

भी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का
प्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा। 008

री कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से
तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का
त कर दी जायेगी।

ामलों में बजट मैनुअल, वितीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों
सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य
नों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर
त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2009 तक उपयोग
ार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का भी अनुपालन
में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त
मों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

ावमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग
ामुक्त की जायेगी।

ायबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

ीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन
कोषागार से आहरण किया जायेगा।

व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के
सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य
-03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1381/XXVII(2)/2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ो।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

(2)/09-45(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0। तददिनांक।

खत को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
नीताल।
री अल्मोड़ा।
लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
ादून।
केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

(हस्तलिखित टिप्पणियाँ एवं मुहरें)

सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रानीखेत

ों की

ों में
करने
लाख
करने

एवं
न्ता
कृति

लिये
का
है।
भाग
किया

अन्य
देश
दी

तथा
की
पर
की
क
भी

(4)

शासनादेश संख्या– 869 ।।।(2)/09–45(एम0एल0ए0)/08टी0सी0 टी0सी0। दिनांक 02 मार्च, 200[illegible] का संलग्नक।

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 20[illegible] में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत द्वाराहाट–विमाण्डेश्वर–ईडा मोटर मार्ग के किमी0 18 में लोहे की एच टाईप रोड़ साईड रैंलिंग एवं फिक्सिंग का कार्य (घातक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु।	00.33	25.24	25.24	0.10
2.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा–बडैत मोटर मार्ग किमी0–4 से धौलाड़गूढ होते हुये कुन्स्यारी–तिपौला मोटर मार्ग का विस्तार।	03.50	122.50	122.50	0.10
3.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना–धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूढ–तिपौला तक विस्तार।	02.00	70.00	70.00	0.10
4.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत असगोली–चमीनी–कुन्स्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूढ–तिपौला तक विस्तार।	02.00	70.00	70.00	0.10
5.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत छब्बीसा–बग्वालीपोखर मोटर मार्ग की अवशेष लम्बाई का कार्य।	01.20	42.00	42.00	0.10
6.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान।	15.00	598.30	598.30	0.10
	योग–	24.03	928.04	928.04	0.60

(रुपये साठ हजार मात्र)

द्वारा प्रति सत्यापित

Attested

सहायक अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
वि० ख० लो० नि० वि०
रानीखेत

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।